न्यायालय : अपर सिविल जज [सी०डि०] तृतीय, भदोही–ज्ञानपुर
उपस्थितः तरुणिमा पाण्डेय [JO Code–UP02473]

UPSN040162942022
परिवाद संख्या–13712 सन् 2022
यूको बैंक शाखा प्रबंधक..... बनाम .....अभिनव तिवारी
दिनांक –30/03/2024

पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी बहस पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत है।

परिवादी द्वारा संक्षेप में अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से कथन किया है परिवादी बैंक से फर्म मे० नब्या फार्मा प्रो० श्री आशुतोष तिवारी पुत्र राजाराम तिवारी नि० चकराजाराम, तिवारीपुर जिला–भदोही (अभियुक्त) ने अपने व्यापार के लिये वित्तीय सुविधा कैश क्रेडिट लिमिट रू० 2,50,000/– पाने के लिये अनुरोध किया तथा उन्होंने अपने उक्त व्यापार से सम्बन्धित वांछित कागजातों परिवादी को प्रस्तुत किया, जिस पर परिवादी बैंक ने आवश्यक जांच एवं विचार करके अभियुक्त की जमानत पर फर्म मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी के उक्त व्यापार को आगे बढाने के लिये वित्तीय सुविधा बतौर कैश क्रेडिट लिमिट रू० 2,50,000/– स्वीकृत किया जिसको पाने के लिये अभियुक्त ने परिवादी बैंक के पक्ष में आवश्यक सिक्योरिटी डाक्यूमेंट निष्पादित करके परिवादी बैंक के सुपुर्दगी में दिया तथा उक्त लिमिट सुविधा के अंतर्गत परिवादी बैंक से मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी द्वारा समय–समय पर ऋण लेकर अपना उक्त व्यापार करते हुये परिवादी बैंक से लेन–देन करते रहे। मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी का कैश क्रेडिट लिमिट ऋण खाता का एकाउण्ट नं०–32610510000281 रहा है। परिवादी बैंक ने अभियुक्त (जमानतदार) एवं ऋणी मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी से उक्त ऋण खाता में बकाया धनराशि की अदायगी की मांग करता रहा चूंकि अभियुक्त ने मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी के गारंटर रहे है और अभियुक्त की गारंटी पर मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी को परिवादी बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया जिससे अभियुक्त एवं मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी की परिवादी बैंक की बकाया धनराशि की जिम्मेदारी नियमानुसार संयुक्ततः एवं पृथक्कतः रही है जिसके आधार पर अभियुक्त ने परिवादी बैंक को अपनी उक्त जिम्मेदारी के तहत उपर्युक्त लोन खाता संख्या–32610510000281 में बकाया धनराशि की अदायगी की भुगतान के लिये चेक संख्या –674646 दिनांकी 13/06/2022 रू० 2,94,464.55/– (दो लाख चौरानवे हजार चार सौ चौसठ रूपया एवं पचपन पैसा मात्र) परिवादी बैंक की शाखा ज्ञानपुर, बचत खाता संख्या–32610110008584 प्रस्तुत किया। परिवादी बैंक ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त चेक को फर्म मे० अमित मेडिकल प्रो० श्री आशुतोष तिवारी के ऋण खाता संख्या –32610510000281 में जमा करने हेतु परिवादी बैंक की शाखा ज्ञानपुर के बचत खाता संख्या–32610110008584 से उक्त चेक से सम्बन्धित धनराशि की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया लेकिन उक्त चेक से सम्बन्धित बचत विभाग द्वारा दिनांक 01/09/2022 को ऋण विभाग को जरिये रिटर्न मेमो सूचित किया कि अभियुक्त के बचत खाता संख्या –32610110008584 में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण (Fund Insufficient) उक्त चेक की धनराशि की अदायगी किये बिना उक्त चेक को वापस कर दिया गया इस प्रकार उक्त चेक का

अनादरण हुआ (Dishonor of Cheque for fund insufficiency)। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में परिवादी बैंक ने अपने नामित अधिवक्ता श्री राधेकृष्ण श्रीवास्तव एडवोकेट दीवानी न्यायालय ज्ञानपुर भदोही के माध्यम से रजिस्टर्ड विधिक नोटिस दिनांकी 05/09/2022 को जरिये पंजीकृत डाक दिनांक 05/09/2022 को अभियुक्त के नाम से प्रेषित किया जो अभियुक्त को प्राप्त हुई उसके बावजूद भी अभियुक्त ने आज तक उक्त चेक से सम्बन्धित धनराशि परिवादी बैंक को अदा नहीं किया गया। अभियुक्त ने उक्त चेक को परिवादी बैंक को शुरू से ही धोखा देने की नियत से कपट पूर्वक स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिये परिवादी बैंक को हानि पहुंचाने के नियत से प्रदत्त किया था जो एक दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त को तलब करके अंतर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (Negotiable instrument Act, 1881) दण्डित किया जावे, ताकि न्याय हो।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

परिवादी का बयान है कि बैंक द्वारा चेक अनादरित होने के पश्चात उसने विपक्षी को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गया परन्तु विपक्षी द्वारा भुगतान नही किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध मूल चेक, बैंक सूचना की प्रति तथा नोटिस की प्रति से परिवादी का साक्ष्य पूर्णतः समर्थित होता है।

निष्कर्षतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में इस न्यायालय के मत में विपक्षी के विरुद्ध परिक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अन्तर्गत कार्यवाही का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी अभिनव तिवारी पुत्र राजाराम तिवारी निवासी–106, चकराजाराम, तिवारीपुर पोस्ट–भवानीपुर, तहसील–औराई, थाना कोतवाली ज्ञानपुर, जिला–भदोही को परिक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी द्वारा आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह किया जाये। अभियुक्त वाजिद अली उपरोक्त जरिये सम्मन दिनांक 26/04/2024 को तलब हो।

दिनांकः30/03/2024

तरुणिमा पाण्डेय
अपर सिविल जज [सी०डि०] तृतीय,
भदोही–ज्ञानपुर

Digitally signed by TARUNIMA PANDEY
Date: 2024.03.30 15:32:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court